पंचायतों का कार्यकाल (Tenure of Panchayats)

तीनों स्तरों की पंचायत का कार्यकाल इनकी पहली बैठक होने के दिन से अगले पाँच वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है। यह कोशिश की जाती है कि किसी पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अगले पंचायत का गठन करने के लिए चुनाव करा लिए जायें। यदि कोई पंचायत अपने लिए निर्धारित कार्यों को सही ढंग से पूरा नहीं करती तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वह पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसे भंग कर दे। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के भंग होने के छः माह के अन्दर ही नयी पंचायत का गठन कर लिया जाये।

पंचायत के अधिकार और कार्य (Rights and Duties of Panchayats)

'संविधान संशोधन अधिनियम, 1992' में एक सूची दी गई है। इसी सूची के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा पंचायतों के अधिकार और कार्य तय किए गए। पंचायतों के कार्यों की सूची में 29 कार्यों का उल्लेख है। इनमें अग्रांकित कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं—

(i) खेती के विकास, भूमि सुधार और चारगाहों के विकास से सम्बन्धित कार्य करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं, पीने के पानी तथा तालाबों

Created By Sign Doc

और पोखरों से सम्बन्धित व्यवस्था करना।

(3) पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन और दुग्ध उद्योग का विकास करना।

(4) सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण करना तथा टेशम के उत्पादन को बढ़ाना।

(5) कुटीर उद्योगों, कृषि उद्योगों और लघु उद्योगों के विकास में सहायता करना।

(6) ग्रामीण आवास कार्यक्रमों को बनाने में सरकार की सहायता करना और ऐसे कार्यक्रमों को लागू करना।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, पुलियों और नौकाघाटों का निर्माण और रख-रखाव करना।

(8) गाँवों में सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करना और ग्रामीण विद्युतीकरण के स्रोतों को विकसित करना।

(9) गरीबी उन्मूलन से सम्बन्धित कार्यक्रमों को लागू करना।

(10) प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना और ग्रामीणों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करना।

(11) गाँवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाएँ लागू करना तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।

(12) महिला और बालविकास के कार्यक्रम लागू करना।

(13) क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ तैयार करना।

(14) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना।

Created By Sign Doc

(15) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना।

(16) पंचायत के क्षेत्र में मेलों, बाजारों और हाटों की व्यवस्था करना।

(17) सार्वजनिक सम्पत्ति का रख-रखाव करना।

उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में अब तीनों स्तरों की पंचायतों को कुछ नये कर लगाने और उन्हें वसूल करने के भी अधिकार दिये गये हैं। इसके बाद भी अब जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (District Rural Development Agency) के द्वारा प्रत्येक जिले की गाँव पंचायतों को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाती है। विकास योजनाओं को बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिस अनुदान की जरूरत होती है, वह सरकार द्वारा जिला पंचायत के माध्यम से दिया जाता है।

Created By Sign Doc